प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 08.03.2026

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ब्रेजा कार से चोरी किये हुए 04 टायर मय एलाय व्हील व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 07/08.03.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सोनू उर्फ नागर पुत्र कैशालचन्द निवासी म0न0 134 गली न0 03 दूर्गा मंदिर के पास विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ कॉलेज कट से ब्रेजा कार से चोरी किये हुए 04 टायर मय एलाय व्हील व घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ नागर पुत्र कैशालचन्द उपरोक्त के विरुद्ध धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ नागर पुत्र कैशालचन्द उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 24.02.2026 की रात्रि में अभियुक्त अपने दोस्त समीर के साथ अपनी कार से गांव कड़कड़ टंकी के पास बने पार्क की बाउन्ड्री के पास एक ब्रेजा गाड़ी के चारों टायर मय एलाय व्हील के चुराकर कार को ईंटो पर खड़ा करके चोरों टायर मय एलाय व्हील के अपनी कार में रखकर अपने घर पर ले गये थे । इसीक्रम में आज अभियुक्त चारों टायर मय एलाय व्हील के बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनू उर्फ नागर पुत्र कैशालचन्द निवासी म0न0 134 गली न0 03 दूर्गा मंदिर के पास विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

ब्रेजा कार से चोरी किये हुए 04 टायर मय एलाय व्हील व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ नागर के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का अभियोग 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा Eskuf Cough Syrup व Phensedyl Cough Syrup की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य विभोर राणा एवं विशाल सिंह निवासी शास्त्री नगर, सहारनपुर की तस्करी से अर्जित 12.55 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति सीज।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध शाखा/स्वॉट टीम व नन्दग्राम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03/04.11.2025 को 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 04 ट्रकों से चूने के बोरों के बीच में छिपाकर रखी कुल 1150 पेटी में 1573500 शीशी कोडीन युक्त Eskuf Cough Syrup Phensedyl Cough Syrup कुल मूल्य लगभग 03 करोड़ 40 लाख, एक क्रेटा कार नं0 UP 14 FB 2244, 20 लाख रूपये नगद, 02 लैपटॉप व 10 मोबाइल, फर्जी मोबाइल सिम, मुहर व TAPENTADOL EXTENDED RELEASE TABLETS की कुल 19 स्ट्रिप आदि दस्तावेज बरामद किये गये।

विभोर राणा एवं विशाल सिंह द्वारा सौरव त्यागी, अभिषेक शर्मा तथा पप्पन यादव आदि सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करते थे। विभोर राणा के नाम से सहारनपुर में पंजीकृत GR Trading कम्पनी तथा कई अन्य फर्मों जैसे ए.वी. फार्मासिटिकल, पड़पड़कगंज, इन्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली, मै0 आर.एस. फार्मा, राजाहंस प्लाजा इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के नाम पर उक्त कफ सिरप को एकत्रित कर तस्करी किया जाता था।

विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त विभोर राणा, उसकी पत्नी श्रीमती विशाखा एवं विशाल सिंह, उसकी पत्नी श्रीमती निशा रानी एवं इन अभियुक्तों के पिता श्री गजराज सिंह सहित पूरे परिवार की कुल आय वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 9,08,86,082/- रुपये घोषित की गई है। इसी अवधि में इन अभियुक्तों तथा इनके परिवार के सदस्यों द्वारा कुल 22,67,34,087/- रुपये की चल अचल खरीदी गई है। इससे स्पष्ट है कि 13,58,48,005/-रुपये की सम्पत्ति नशीली कोडीन युक्त Cough Syrup की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गयी है।

इन अभियुक्तों तथा उनके परिवार के नाम पर खरीदी गयी कुल 12.55 करोड़ रुपये की चल -अचल सम्पत्ति को N.D.P.S. Act, 1985 के अन्तर्गत फ्रीज किया गया।

अभियुक्त विभोर राणा एवं विशाल सिंह द्वारा विभिन्न फर्मों के माध्यम से Cough Syrup की तस्करी से अर्जित अवैध धन से अपने तथा अपने परिवार के नाम पर के खरीदी गयी निम्नलिखित सम्पत्ति को फ्रीज किया गया :-

क्र.सं.	**सम्पत्ति का विवरण**	**मूल्य**
1	प्लॉट नं. 20, दर्रा पठानपुरा, सहारनपुर	30,02,880
2	कोठी का भाग, नगर पालिका नं. 2/1412/8, सहारनपुर	54,02,190
3	प्लॉट नं. 18, रामनगर सहारनपुर	1,24,944
4	प्लॉट नं. 26-27, रॉयल सिटी कॉलोनी, सहारनपुर	9,54,600
5	प्लॉट नं. 23-24, दरगाहपुर, सहारनपुर	11,87,870
6	गैर कृषि भूमि, चिड़बना सहारनपुर	30,00,360

7	प्लॉट नं. 33, दर्रा पठानपुरा, सहारनपुर	13,15,560
8	मकान, पठानपुरा अहमदबाग, सहारनपुर	77,76,080
9	भूमि/प्लॉट, पठानपुरा अहमदबाग, सहारनपुर	47,30,880
10	प्लॉट नं. 19, दर्रा पठानपुरा, सहारनपुर	52,37,070
11	कृषि भूमि, शक्लापुरी, सहारनपुर	1,40,21,200
12	प्लॉट नं. 18-19, दर्शापुर, सहारनपुर	13,53,410
13	कृषि भूमि, बदशापुर, सहारनपुर	42,09,650
14	प्लॉट नं. 1, बदशापुर, सहारनपुर	5,31,500
15	मकान योजना, शास्त्री नगर, सहारनपुर	1,18,05,920
16	प्लॉट नं. 35, दरगाहपुर, सहारनपुर	4,81,840
17	कोठी / प्लॉट, पठानपुरा, सहारनपुर	50,06,670
18	प्लॉट नं. 14, दर्रा पठानपुरा, सहारनपुर	52,43,420
19	कोठी / प्लॉट, पठानपुरा, सहारनपुर	56,65,630
20	कृषि भूमि, लश्करपुर, सहारनपुर	41,09,850
21	कृषि भूमि, लश्करपुर, सहारनपुर	41,09,870
22	प्लॉट, बदकला, सहारनपुर	43,20,840
23	प्लॉट, बदकला, सहारनपुर	43,20,840
24	कृषि भूमि, काशकरपुर, सहारनपुर	20,35,880
25	कृषि भूमि, काशकरपुर, सहारनपुर	27,40,230
26	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	23,52,270
27	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	23,42,270
28	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	23,52,270
29	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	23,42,270
30	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	15,10,630
31	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	15,00,630
32	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	15,10,630
33	कृषि भूमि, चकवाली, सहारनपुर	15,00,630
34	कृषि भूमि, हलगोया मस्ट, सहारनपुर	14,39,230
35	ट्रैक्टर TAFE (UP11CM0523)	9,00,000
36	ट्रैक्टर John Deere (UP11CK4069)	7,36,839
37	ग्लॉस्टर 4x4 कार (UP11CP0003)	43,86,800

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा N.D.P.S. Act, 1985 की धारा 68-F की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध धन से अर्जित की गई इन सम्पत्तियों को जब्त किया गया है, अभियुक्तों के परिजनों को फ्रीजिंग आदेश तामील कराया गया ।

गिरफ्तार व बरामद/जब्तीकरण करने वाली पुलिस टीम।

1. अपराध शाखा/स्वाट टीम

2. थाना साइबर क्राइम टीम

3.थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 17.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी साबिर अली द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.फरजाना पत्नी मोहम्मद नूरआलम 2. मोहम्मद मनव्वर पुत्र मोहम्मद नूरआलम निवासीगण बी 4/163 यमुना विहार दिल्ली द्वारा वादी की माता की कृषि भूमि के फर्जी कागजात तैयार कराकर धोखाधड़ी करके कुछ व्यक्तियों को उक्त जमीन के कुछ हिस्से को अवैध रूप से बेचकर कब्जा करा देना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 318(4)/338/336(3)/340(2)/329(3)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात् आज दिनांक 08.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुनब्बर पुत्र नूर आलम निवासी बी-4/163 यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने व अपनी माता फरजाना के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके साबिर अली की माता मंगो की ग्राम पावी सादकपुर स्थित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचकर कब्जा करा दिया था। जब भी साबिर अली हमारे पास अपनी भूमि से कब्जा हटाने के लिए आते थे, तो हम लोग उसको जान से मारने की धमकी भी देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मुनब्बर पुत्र नूर आलम निवासी बी-4/163 यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।